राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

क्रमांक : प.1(6)( )सहायता/आ.प्र./डी.डी.एम.ए./00186–2025/111 दिनांक:– 06/01/2025

आदेश

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीतलहर एवं बढती हुई ठंड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 07/01/2025 से दिनांक 08/01/2025 तक जिले में संचालित नर्सरी से कक्षा 08 तक के समस्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों एवं आंगनवाडी केन्द्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीतलहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य मध्येनजर विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं, नीलाभ सक्सेना जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण करौली, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करौली जिले में संचालित नर्सरी से कक्षा 08 तक के समस्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों एवं आंगनवाडी केन्द्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों का दिनांक 07/01/2025 से दिनांक 08/01/2025 तक का अवकाश घोषित करता हूँ। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा। विद्यालय स्टॉफ एवं आंगनवाडी स्टॉफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले में समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान उक्त अवधि में विद्यालय/कक्षा संचालित करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों के तहत् कायवाही अमल में लाई जावेगी।

नोटः– कक्षा 09 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रातः 10:00 बजे के पश्चात् ही विद्यालय में बुलाया जावे।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
करौली

क्रमांकः– सम/2025/112–125 दिनांक :– 06/01/2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. सयुंक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर।
4. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग करौली।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली को प्रेषित कर निदेशित किया जाता है कि सरकारी/गैर सरकारी एवं आंगनवाडी केन्द्र में उक्त आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. सहायक निदेशक, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग करौली को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा करौली।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला करौली।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा करौली।
10. प्रधानाचार्य डाईट करौली।
11. पीईईओ/प्रधानाचार्य समस्त जिला करौली।
12. [illegible]

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
करौली

Signature valid

Digitally signed by Neelabh Saxena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.01.06 20:29:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12837725

Scanned with OKEN Scanner